# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

| क्र.स. | अपीलार्थी एवं अपील संख्या | प्रत्यर्थी विभाग | प्रस्तुत करने की दिनांक | आलोच्य आदेश दिनांक एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक | अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सीताराम गवारिया 2297/2025 | प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य | 17.03.2025 | (अनुलग्नक–1) 11.01.2025 एवं 25.02.2025 (अनुलग्नक–2) | शिवात्मा कुमार टांक |
| 2. | नीरज कुमार पाटीदार 2296/2025 | प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य | 17.03.2025 | (अनुलग्नक–1) 15.10.2024 एवं 31.12.2024 (अनुलग्नक–2) | शिवात्मा कुमार टांक |
| 3. | प्रमोद जोशी 2298/2025 | रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर। | 17.03.2025 | (अनुलग्नक–1) 09.01.2025 एवं 16.01.2025 (अनुलग्नक–2) | शिवात्मा कुमार टांक |

आदेश की दिनांक : 27.03.2025

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2297/2025 सीताराम गवारिया बनाम प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।
2. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/हैडपम्प मिस्त्री के पद पर ग्राम पंचायत भगवानपुरा, पंचायत समिति, पिसांगन जिला अजमेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान

पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.02.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। जहां पर अपीलार्थी अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 25.02.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/हैडपम्प मिस्त्री के पद पर ग्राम पंचायत भगवानपुरा, पंचायत समिति, पिसांगन जिला अजमेर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे तथा वेतन सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे। उपरोक्त समस्त अपीलों में उक्त समान आधार लिए गए है।

4. हमने अपीलार्थियों के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थियों के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान् अधिवक्तागण के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थियों को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
8. मूल आदेश अपील संख्या 2297/2025 सीताराम गवारिया बनाम प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**